न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के समक्ष।

राम कुमार बेदी- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

सीडब्ल्यूपी संख्या 14239 सन 2010

04 फरवरी, 2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226/227 - सेवा कानून - प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारी - प्रदर्शन पुरस्कार के रूप में गलत तरीके से प्रोत्साहन से सम्मानित किया गया - इसके लिए कोई पात्रता नहीं - वसूली को प्रभावित करने की मांग की गई - कर्मचारी की गलती नहीं है और न ही किसी भी राशि के भुगतान के लिए संबंधित प्राधिकारी को गुमराह किया गया है - जनता/करदाताओं के पैसे का अधिक भुगतान - कोई नियम या विनियम नहीं जो भुगतानकर्ता को उस राशि का हकदार बनाता है जिसका भुगतान किया गया है और अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अन्यायपूर्ण संवर्धन के बराबर होगा - याचिकाकर्ता का सेवा में यथोचित वरिष्ठ पदों पर काम करना - अत्यधिक कठिनाई की दलील उपलब्ध नहीं है - अतिरिक्त भुगतान वसूल किये जाने योग्य है।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि बुद्ध राम के मामले (सुप्रा) में इस अदालत की पूर्ण पीठ के फैसले के बाद, चंडी प्रसाद उनियाल और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, (2012) 8 एससीसी 417 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया था। उसमें यह राय दी गई है कि तथ्यों के आधार पर पहले तय किए गए कई मामलों में, यह माना गया था कि सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्ति के कगार पर होने वाले और प्रशासनिक पदानुक्रम में निचले पदों पर आसीन होने वाले प्राप्तकर्ताओं को उस लाभ को चुकाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, जो पहले ही उन्हें गलत बयानी या धोखाधड़ी के बिना गलत तरीके से दिया जा चुका है। सार्वजनिक धन का अधिक भुगतान, जिसे अक्सर "करदाता के पैसे" के रूप में वर्णित किया जाता है, न तो उन अधिकारियों का है जिन्हें भुगतान किया गया था और न ही प्राप्तकर्ताओं का। सार्वजनिक धन का अधिक भुगतान विभिन्न कारणों जैसे लापरवाही, मिलीभगत, लापरवाही, पक्षपात आदि की वजह से हो सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां भुगतानकर्ता और आदाता दोनों गलती पर हैं। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां भुगतान कानून के अधिकार के बिना किया गया था, जिसका अर्थ है कि कोई नियम या कानून नहीं है जो भुगतानकर्ता को उस राशि का हकदार बना सकता है जिसका भुगतान किया गया है। अत्यधिक कठिनाइयों के कुछ अपवाद हो सकते हैं। यह अधिकार की बात नहीं

है। अन्यथा, यह अन्यायपूर्ण संवर्धन के समान होगा।

(पैरा 9)

आगे यह अभिनिर्णीत किया गया कि यदि चंडी प्रसाद उनियाल के मामले (सुप्रा) में कानून के प्रतिपादन के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो वर्ष 2008 में वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए याचिकाकर्ताओं को प्रदर्शन पुरस्कार के कारण भुगतान किया गया था। तत्काल जब यह त्रुटि देखी गई कि हैफेड में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारी उस लाभ के हकदार नहीं हैं, तो वर्ष 2009 में उन सभी कर्मचारियों को गलती से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं को अधिक राशि के भुगतान में त्रुटि को इंगित करने में कोई विलंब नहीं हुआ। बल्कि, वर्तमान में सभी याचिकाकर्ता अभी भी सेवा में हैं और यथोचित वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे हैं क्योंकि सी० डब्ल्यू० पी संख्या 14239 सन 2010 में याचिकाकर्ता जिला अटॉर्नी के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि सीडब्ल्यूपी संख्या 6859 सन 2011 में याचिकाकर्ता सब डिवीजनल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा अत्यधिक कठिनाई की दलील भी नहीं दी जा सकती है। वसूली जाने वाली राशि बहुत बड़ी नहीं है। ऊपर वर्णित कारणों के लिए, वर्तमान याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता किश्तों में राशि की वसूली के लिए अभ्यावेदन देते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

(पैरा 11 और 12)

के.एस. *धनोरा,* याचिकाकर्ता(ओं) के लिए *अधिवक्ता*

डी. डी. गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

संजीव गुप्ता, श्री सीबी गोयल के वकील, दोनों याचिकाओं में प्रतिवादी नंबर 2 के वकील।

दुर्गेश अग्रवाल, सी०डब्ल्यू०पी संख्या 6859 सन 2011 में प्रतिवादी नंबर 3 के वकील।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल:

1) यह आदेश सी०डब्ल्यू०पी संख्या 14239 सन 2010 और 6859 सन 2011 वाली दोनो याचिकाओं का निस्तारण करेगा, क्योंकि दोनों मे कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

तथ्य:

सी०डब्ल्यू०पी० संख्या 14239 सन 2010:

2) याचिकाकर्ता वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता के कार्यालय में जिला अटॉर्नी के रूप में कार्यरत है। 11-8-2004 से 14-9-2006 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता हैफेड में प्रतिनियुक्ति पर रहा। हैफेड में अपनी सेवा के दौरान, उन्हें प्रदर्शन पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारी हकदार नहीं थे। त्रुटि पता कलने के पश्चात याचिकाकर्ता को दिनांक 7-9-2009 को एक नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए दिनांक 20.8.2009 के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए कि वर्ष 2005-06 के दौरान, प्रदर्शन पुरस्कार के कारण उसे 37,378/- की राशि का गलत भुगतान किया गया था, जिसके लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारी हकदार नहीं थे और संशोधित वेतनमान के बकाया के कारण याचिकाकर्ता को 21,393/- समायोजित करने के बाद, 15,985/- की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

3) उपरोक्त आदेश इस अदालत के समक्ष लागू है।

सी०डब्ल्यू०पी० संख्या 6859 सन 2011:

4) वर्तमान याचिका में, चार याचिकाकर्ता हैं, अर्थात्, डी० एन० सैनी, जूनियर इंजीनियर, एस० के० सिंगला, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल); लछमन दास, सब डिवीजनल इंजीनियर और वाई० के० गुप्ता, सब डिवीजनल इंजीनियर। वे हरियाणा के हाउसिंग बोर्ड में अलग-अलग पदों पर कार्यरत थे। हालांकि, वे विभिन्न अवधियों के लिए हैफेड के साथ प्रतिनियुक्ति पर बने रहे। वर्ष 2005-06 के दौरान गलती से हैफेड में उनकी तैनाती के दौरान याचिकाकर्ताओं को निष्पादन पंचाट के रूप में प्रोत्साहन दिया गया था, जो वास्तव में केवल हैफेड के नियमित कर्मचारियों को ही देय था। यह वर्ष 2006-07 के कुछ भाग तक भी जारी रहा। त्रुटि पर ध्यान देने के बाद, दिनांक 23.7.2009 के पत्र द्वारा , याचिकाकर्ता नंबर 1, 3 और 4 को क्रमशः 59,797 रुपये, 71,826 रुपये और 47,195 रुपये जमा करने की सलाह दी गई थी, याचिकाकर्ता नंबर 2 को नवंबर, 2008 में वर्ष 2005-06 के लिए प्रदर्शन पुरस्कार के रूप में गलती से भुगतान किए गए 27,209 रुपये जमा करने के लिए 6.3.2009 के पत्र के माध्यम से सलाह दी गई थी। उपर्युक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि आईएएस अधिकारियों को हैफेड द्वारा भुगतान किया गया निष्पादन पुरस्कार पहले ही वसूल किया जा चुका है।

5) उपरोक्त संचार इस अदालत के समक्ष आक्षेपित हैं।

तर्क

6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने सीडब्ल्यूपी संख्या 2799 सन 2008 बुद्ध राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में इस अदालत की पूर्ण पीठ के 22.5.2009 के फैसले का उल्लेख करते हुए, प्रस्तुत किया कि

जब याचिकाकर्ताओं की गलती ना हो और किसी भी राशि के भुगतान के लिए प्राधिकरण को गुमराह नहीं किया गया हो, तो उसे वसूल नहीं किया जा सकता है।

7) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता यहां हैफेड के साथ प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे थे। नीति के अनुसार, प्रदर्शन पुरस्कार का भुगतान केवल नियमित कर्मचारियों को किया जा सकता था, हालांकि, गलती से याचिकाकर्ताओं को भी भुगतान किया गया था, जो प्रतिनियुक्ति पर थे। त्रुटि की जानकारी में आने के तुरंत बाद, उन सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए जिन्हें निष्पादन पंचाट का भुगतान किया गया था, जिसके वे हकदार नहीं थे। यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ताओं से कुछ राशि वसूलने की मांग की गई है, जिसके लिए उन्हें वर्षों से भुगतान किया गया था और उनकी सेवानिवृत्ति के समय वसूली की मांग की गई थी। भुगतान वर्ष 2008 में किया गया था। जब त्रुटि देखी गई, तो उन्हें वर्ष 2009 में राशि चुकाने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता अन्यथा कम वेतन वाले कर्मचारी भी नहीं हैं, क्योंकि वे यथोचित वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे हैं, जिनके पास अच्छा वेतन और छोटी राशि का भुगतान है, जो वास्तव में उन्हें गलत तरीके से भुगतान किया गया था, जिससे उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी।

8) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

9) बुद्ध राम मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के बाद, ***चंडी प्रसाद उनियाल और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य***[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया था। उसमें यह राय दी गई है कि तथ्यों के आधार पर पहले तय किए गए कई मामलों में, यह माना गया था कि सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्ति के कगार पर होने वाले और प्रशासनिक पदानुक्रम में निचले पदों पर आसीन होने वाले प्राप्तकर्ताओं को उस लाभ को चुकाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, जो पहले ही उन्हें गलत बयानी या धोखाधड़ी के बिना गलत तरीके से दिया जा चुका है। सार्वजनिक धन का अधिक भुगतान, जिसे अक्सर "करदाता के पैसे" के रूप में वर्णित किया जाता है, न तो उन अधिकारियों का है जिन्हें भुगतान किया गया था और न ही प्राप्तकर्ताओं का। सार्वजनिक धन का अधिक भुगतान विभिन्न कारणों जैसे लापरवाही, मिलीभगत, लापरवाही, पक्षपात आदि की वजह से हो सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां भुगतानकर्ता और आदाता दोनों गलती पर हैं। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां भुगतान कानून के अधिकार के बिना किया गया था, जिसका अर्थ है कि कोई नियम या कानून नहीं है जो भुगतानकर्ता को उस राशि का हकदार बना सकता है जिसका भुगतान किया गया है। अत्यधिक कठिनाइयों के कुछ अपवाद हो सकते हैं। यह अधिकार की बात नहीं है। अन्यथा, यह अन्यायपूर्ण संवर्धन के समान होगा। पूर्वोक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

---

[1] (2012) 8 एससीसी 417

"12. इस संबंध में हम **कर्नल बी०जे० अक्कारा (सेवानिवृत्त) मामले** (सुप्रा) में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जहां इस न्यायालय ने **श्याम बाबू वर्मा मामले, साहिब राम मामले (सुप्रा)** और कुछ अन्य निर्णयों का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार आयोजित किया:

> "इस तरह की राहत, अतिरिक्त भुगतान की वसूली को रोकना, अदालतों द्वारा कर्मचारियों में किसी भी अधिकार के कारण नहीं दी जाती है, बल्कि इक्विटी में, न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, कर्मचारियों को राहत देने के लिए, वसूली लागू होने पर होने वाली कठिनाई से राहत देती है। एक सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से सेवा के निचले स्तर पर कार्यरत कोई भी कर्मचारी जो भी परिलब्धियां प्राप्त करता है उसे अपने परिवार के भरण-पोषण पर खर्च करता है। यदि उसे लंबी अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होता है, तो वह इसे वास्तव में यह विश्वास करते हुए खर्च करेगा कि वह इसका हकदार है। चूंकि अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए किसी भी बाद की कार्रवाई से उसे अनुचित कठिनाई होगी, इसलिए उस संबंध में राहत दी जाती है। लेकिन जहां कर्मचारी को ज्ञान था कि प्राप्त भुगतान देय या गलत भुगतान से अधिक था, या जहां त्रुटि का पता लगाया जाता है या गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर ठीक किया जाता है, अदालतें वसूली के खिलाफ राहत नहीं देंगी। मामला न्यायिक विवेक के दायरे में होने के कारण, अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर वसूली के खिलाफ ऐसी राहत देने से इनकार कर सकती हैं।

13. बाद में, एसवाई सीडी अब्दुल कादिर मामले **(सुप्रा)** में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **श्याम बाबू वर्मा, कर्नल बीजे अक्कारा (सेवानिवृत्त)** आदि का उल्लेख करने के बाद विभाग को भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली से रोक दिया, लेकिन निम्नानुसार आयोजित किया:

> "निस्संदेह, अपीलकर्ताओं-शिक्षकों को जो अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है, वह उनकी ओर से किसी गलत बयानी या धोखाधड़ी के कारण नहीं था और अपीलकर्ताओं को भी इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि उन्हें जो राशि दी जा रही थी, वह उससे अधिक थी जिसके वे हकदार थे। यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि वित्त विभाग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया था कि यह उनकी ओर से एक वास्तविक गलती थी। किया गया अतिरिक्त भुगतान उस नियम की गलत व्याख्या का परिणाम था जो उन पर लागू था, जिसे अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि यह सारा भ्रम बिहार सरकार के संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता, लापरवाही और लापरवाही के कारण था। अपीलकर्ताओं-शिक्षकों की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिकांश लाभार्थी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या इसके कगार पर हैं। मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपीलकर्ताओं-शिक्षकों

को किसी भी कठिनाई से बचने के लिए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं-शिक्षकों को अधिक भुगतान की गई राशि की कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए।''

14. हम यह नहीं कह सकते हैं कि **सैयद अब्दुल कादिर** मामले में इस तरह का निर्देश उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया था क्योंकि लाभार्थी या तो सेवानिवृत्त हो गए थे या सेवानिवृत्ति के कगार पर थे और ताकि उन्हें किसी भी कठिनाई से बचा जा सके।

15. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस न्यायालय ने यहां संदर्भित विभिन्न निर्णयों में कानून का कोई प्रस्ताव रखा है कि केवल अगर राज्य या उसके अधिकारी यह स्थापित करते हैं कि अतिरिक्त वेतन प्राप्त करने वालों की ओर से गलत बयानी या धोखाधड़ी हुई है, तभी भुगतान की गई राशि वसूल की जा सकती है। दूसरी ओर, यहां से पहले संदर्भित अधिकांश मामलों ने उन मामलों के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को बदल दिया क्योंकि प्राप्तकर्ता सेवानिवृत्त हो गए थे या सेवानिवृत्ति के कगार पर थे या प्रशासनिक पदानुक्रम में निचले पदों पर कब्जा कर रहे थे।

16. हम सार्वजनिक धन के अधिक भुगतान से चिंतित हैं जिसे अक्सर "करदाता के पैसे" के रूप में वर्णित किया जाता है जो न तो उन अधिकारियों से संबंधित है जिन्होंने अधिक भुगतान को प्रभावित किया है और न ही प्राप्तकर्ताओं का। हम यह समझने में विफल रहते हैं कि ऐसी स्थितियों में धोखाधड़ी या गलत बयानी की अवधारणा क्यों लाई जा रही है। पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या अतिरिक्त धन का भुगतान किया गया है या नहीं, यह एक वास्तविक गलती के कारण हो सकता है। संभवतः, सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन का अधिक भुगतान लापरवाही, लापरवाही, मिलीभगत, पक्षपात आदि जैसे विभिन्न कारणों से हो सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में पैसा भुगतानकर्ता या आदाता से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ भुगतानकर्ता और आदाता दोनों गलती पर हों, तो गलती आपसी है। कानून के किसी भी अधिकार के बिना कई स्थितियों में भुगतान प्रभावित हो रहे हैं और प्राप्तकर्ताओं द्वारा भी कानून के किसी भी अधिकार के बिना भुगतान प्राप्त किए गए हैं। कानून के अधिकार के बिना भुगतान / प्राप्त की गई कोई भी राशि हमेशा अत्यधिक कठिनाइयों के कुछ अपवादों को छोड़कर वसूल की जा सकती है, लेकिन अधिकार के मामले के रूप में नहीं, ऐसी स्थितियों में कानून का अर्थ है कि आदाता पर धन चुकाने का दायित्व है, अन्यथा यह अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा।

10) उपर्युक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के रूप में कार्य कर रहे थे। यह माना गया कि वे अपवाद श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए, उन्हें किए गए अतिरिक्त भुगतान की

वसूली की जा सकती थी, हालांकि, इसे किश्तों में करने का निर्देश दिया गया था।

11) यदि चंडी प्रसाद उनियाल के मामले (सुप्रा) में कानून के प्रतिपादन के आलोक में वर्तमान सहजता के तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2008 में प्रदर्शन पुरस्कार के कारण भुगतान किया गया था। तत्काल जब यह त्रुटि देखी गई कि हैफेड में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारी उस लाभ के हकदार नहीं हैं, तो वर्ष 2009 में उन सभी कर्मचारियों को गलती से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं को अधिक राशि के भुगतान में त्रुटि को इंगित करने में कोई विलंब नहीं हुआ। बल्कि, वर्तमान मामले में सभी याचिकाकर्ता अभी भी सेवा में हैं और यथोचित वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे हैं क्योंकि सीडब्ल्यूपी संख्या 14239 सन 2010 में याचिकाकर्ता जिला अटॉर्नी के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि सीडब्ल्यूपी संख्या 6859 सन 2011 में याचिकाकर्ता सब डिवीजनल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा अत्यधिक कठिनाई की दलील भी नहीं दी जा सकती है। वसूली जाने वाली राशि बहुत बड़ी नहीं है।

12) ऊपर वर्णित कारणों के लिए, वर्तमान याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता किश्तों में राशि की वसूली के लिए अभ्यावेदन देते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

एस. गुप्ता

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

परीक्षित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
महम, रोहतक,हरियाणा